दिनांक 28.12.2023 स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

आईटीआई ग्राउण्ड के कब्जे को निगम ने किया बेदखल

भिलाईनगर/ निगम भिलाई क्षेत्र में होने वाले अवैध कब्जे पर निगम टीम निगरानी करते हुए उनके विरूद्ध लगातार कार्यवाही कर रही है, गुरूवार को जोन 04 शिवाजी मदर टेरेसा नगर क्षेत्र में राजस्व विभाग की टीम ने न्यू खुर्सीपार एवं आईटीआई ग्राउण्ड मैदान में हुए अवैध कब्जे को बेदखल किया। वही सुपेला संडे मार्केट में मार्किग कर आबंटित दुकानो का सीमा निर्धारित किया।

निगम क्षेत्र में यातायाता को बाधित करने वाले सड़क पर किये गये अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण करने वालों पर शिकंजा कसते हुए निगम आयुक्त रोहित व्यास ने अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि नियम विरूद्ध निर्माण एवं अतिक्रमण करने वालो पर शक्ति से कार्यवाही करें।

आयुक्त को प्राप्त शिकायत के आधार पर जोन 04 शिवाजी नगर क्षेत्र के केनाल रोड में पीडीएस भवन के पास अतिक्रमणकारी ने निगम द्वारा किये गये बारबेड वायर के घेरे को उखाड़कर अवैध कब्जा किया है। जिस पर उन्होने राजस्व अमले को कार्यवाही के निर्देश दिये थे , निगम का बेदखली दस्ता पुलिस प्रशासन के साथ मौके पर पहुच कर आई.टी.आई. ग्राउण्ड में हुए बाॅस बल्ली , टीन एवं झिल्ली पन्नी के घेरे को उखाड़कर जप्त किया। निगम टीम ने अवैध कब्जाधारी को हिदायत दी है कि दुबारा कब्जा पाये जाने पर निगम द्वारा कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

संडे मार्केट दुकान के सामने की गई मार्किंग आयुक्त रोहित व्यास ने सुपेला घड़ी चौक से गदा चौक तक यातायात को प्रभावित करने वाले संडे बाजार से वाहन आवागमन को सुगम बनाने सड़क पर होने वाले अतिक्रमित व्यापार, आबंटित दुकान के बाहर टीन टपरा से घेर कर किये गये अतिक्रमण सड़क पर तखत ठेला , गुमटी लगाकर बाधित करने वाले लोगो के विरूद्ध सक्त कार्यवाही के निर्देश दिए है जिस पर जोन आयुक्त जोन- 1 एवं 2 की टीम ने गुरूवार को घड़ी चौक से नाला तक तथा नाले के बाद गदा चौक तक आबंटित दुकान के बाहर नाली सीमा तक सफेद पेंट से स्थायी मार्किग कर व्यापारियो को हिदायत दी है कि उक्त मार्किग के बाहर जितने भी ठेला , गुमटी, टीन टपरा से हुए सड़क पर अतिक्रमण को तत्काल खाली कर दे। आमागी रविवार को आयुक्त के निर्देश पर जोन 1 एवं 2 की टीम मार्किंग के बाद किये जा रहे व्यवसाय की जाॅच कर सड़क पर पाये गये अवैध कब्जो की बेदखली एवं सड़क पर पाये गये विक्रय वस्तु की सामग्री को जप्ती की कार्यवाही करेगा।